भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 422
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय-सिंचाई के लिए पानी की कमी
422. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को लद्दाख के विभिन्न भागों में बर्फबारी में कमी, ग्लेशियरों के पीछे हटने तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी के कारण बार-बार सूखे जैसे स्थिति बनने की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो लद्दाख के ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि के लिए जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) खेती की ज़रूरतों के लिए पानी की कमी को कम करने के लिए उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है, जिसमें लद्दाख के कृषि-जलवायु के हिसाब से सूखे से बचने वाले खेती के तरीके, पानी जमा करने के पुराने सिस्टम या फसल बीमा के तरीके लागू करना शामिल है; और
(घ) क्या लद्दाख को मौसम की वजह से पानी की कमी को कम करने और वहां स्थानीय खेती और बागवानी को बनाए रखने के लिए किसी खास मदद या वितीय पैकेज पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ) जी हाँ, सरकार लद्दाख सहित देश में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से अवगत है। कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लद्दाख में कृषि आवश्यकताओं हेतु जल की कमी को कम करने और इसकी विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल क्षेत्र-विशिष्ट सूखा-रोधी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख जलवायु-जनित जल संकट को दूर करने और स्थानीय कृषि एवं बागवानी की स्थिरता को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाओं और क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना और विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के अंतर्गत लगभग 283 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ii. वर्ष 2024-25 के दौरान जिला पूंजीगत व्यय के अंतर्गत एक स्वचालित बर्फ जलाशय (कृत्रिम ग्लेशियर) की स्थापना के लिए ₹12.33 लाख का व्यय किया गया है।

iii. वर्ष 2024-25 के दौरान अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (ओएसएपी) 33 - सब्सिडी के अंतर्गत मल्चिंग तकनीक के कार्यान्वयन के लिए ₹72.50 लाख का व्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में एक मध्यम सिंचाई परियोजना, पार्कांचिक खोस नहर परियोजना, को वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस परियोजना के लिए ₹2.98 करोड़ की राशि प्रदान की गई और इसके अंतर्गत अब तक 1,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है।

*****